



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 143/XXXVI(3)/2010/07(1)/2010

देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010’ पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

(अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 61वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) धारा 2, 3, तथा 5 दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से तथा धारा 4 एवं धारा 6 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी समझी जायेंगी।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में-

(क) उपधारा (3) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3क) जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :-

“(3क) उपधारा (1) एवं उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी ऐसे ब्यौहारी अथवा पश्चात्पूर्ती ब्यौहारी के ऊपर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा अथवा उससे कोई कर संग्रहीत नहीं किया जायेगा जो ऐसे किसी माल को किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लिवाता है जिसके सम्बन्ध में उक्त उपधाराओं में से किसी के अधीन किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया है और ऐसा ब्यौहारी सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष उसके सम्बन्ध में ऐसा घोषणा-पत्र जैसा कि विहित किया जाय, दाखिल करता है:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन जमा कर की धनराशि ऐसे ब्यौहारी अथवा किसी पश्चात्पूर्ती ब्यौहारी के लिए तथा उसकी ओर से जमा की गयी मानी जायेगी जिसे उक्त विहित घोषणा-पत्र निर्गत किया गया है।”

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-

“(6) उपधारा (1) एवं उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी ऐसे ब्यौहारी के ऊपर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा अथवा उससे कोई कर संग्रहीत नहीं किया जायेगा जो किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई माल लाता है या लिवाता है जो-

(एक) स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बगैर राज्य के बाहर किसी स्थान को परेषित किया जाये; अथवा

(दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री अथवा पुनः बिक्री किया जाए।

स्पष्टीकरण-यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि ब्यौहारी द्वारा कोई माल अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया है अथवा नहीं, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 तथा धारा 6 (क) लागू होगी:

परन्तु यह कि यदि स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के समय ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री के बगैर स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर बिक्री किये जाने वाले माल की मात्रा तथा मूल्य अभिनिश्चित किये जाने योग्य नहीं है तो ब्यौहारी माल की सकल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा तथा माल के

परेषित अथवा राज्य के बाहर अथवा माल के निर्यात के दौरान विक्रय करने के पश्चात् ब्यौहारी ऐसे माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त ऐसे धनराशि की वापसी अथवा समायोजन का दावा उस माह में कर सकता है जिसमें माल का अन्तरण राज्य के बाहर किया जाये अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा निर्यात के दौरान विक्रय किया जाये।”

(ग) उपधारा (7) हटा दी जायेगी।

3. मूल अधिनियम की—

धारा 5 का संशोधन

धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात् :—

“5. जहाँ कोई ब्यौहारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई माल स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके प्रवेश पर वहाँ उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय हेतु लाया है अथवा लिवाया है अथवा उसका परिदान प्राप्त किया है और उसने ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया है अथवा ऐसे माल को क्रय किया है जिसके ऊपर प्रवेश कर का भुगतान पहले ही कर दिया है तो ऐसे कर की वापसी अथवा समायोजन ऐसे ब्यौहारी को किया जायेगा जिसके द्वारा ऐसे माल को स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बगैर राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को परेषित किया जाता है अथवा या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान बेच दिया जाता है।”

4. मूल अधिनियम की—

धारा 6 का संशोधन

धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात् :—

“6. जहाँ धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल के सम्बन्ध में ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन उस अधिनियम में पंजीकृत किसी ब्यौहारी द्वारा कर देय है तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि तक छूट अनुमन्य कर सकती है।”

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में—

धारा 12 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द “ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा” के स्थान पर शब्द “ऐसा माल क्रेता को परिदान नहीं करेगा” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (5) के बाद निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :—

“(6) इस उपधारा के अधीन जमा की गयी कर की धनराशि उस ब्यौहारी के लिये तथा उसकी ओर से जमा मानी जायेगी जिससे ऐसा कर प्राप्त किया गया है। विनिर्माता ऐसे कर की धनराशि का उल्लेख क्रेता व्यापारी को जारी कर बीजक अथवा बिक्री बीजक, जैसी भी स्थिति हो, में करेगा। यह कर जमा का सबूत समझा जायेगा जब तक कि कर बीजक अथवा बिक्री बीजक, जैसी भी स्थिति हो, कूट रचित अथवा मिथ्या अथवा नकली अथवा वैध रूप से जारी नहीं किया गया न पाया जाये अथवा कपटपूर्ण रूप से प्राप्त किया गया हो।”

धारा 13 का
संशोधन

6. मूल अधिनियम की-

धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-

“13. इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) (यथा संशोधित) के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, संग्रहण तथा कर का भुगतान प्रवर्तित करने के लिए शक्ति प्राप्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, संग्रहण तथा देय अर्थदण्ड सहित कर के भुगतान को प्रवर्तित करेंगे मानो कि वह उस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अथवा अर्थदण्ड हो, और इस प्रयोजन हेतु वे उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा वर्ष 2005 के उक्त अधिनियम (यथा संशोधित) के उपबन्ध विवरणियों, कर का भुगतान एवं वसूली विघटित फर्म एवं अंतरिती के कर का दायित्व, कर देयता का समाधान, ब्यूहारियों द्वारा कर की वसूली, कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, मूल सुधार, पुनर्गठित अथवा नयी फर्मों एवं साझीदारों में परिवर्तन का कर निर्धारण, तृतीय पक्षकार से वसूली, जाँच चौकी तथा नाके, लेखों का रख-रखाव, लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, माल को अभिग्रहण करने की शक्ति, अपराध एवं अर्थदण्ड, अपराधों का समाधान, मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करने पर दायित्व, कर की वापसी, कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होंगी, राजस्व को कपटवंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना, ब्याज प्रभारित करना तथा तथा देना, अधिकारिता के प्रति आपत्ति, हानिरक्षा, कतिपय कार्यवाहियों पर रोक, कम्पनियों द्वारा अपराध, विवादित प्रश्न का अवधारण, बकाया माफी एवं किश्त मंजूर करने का अधिकार तथा रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिए सुविधा के प्राविधानों को शामिल करते हुए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Tax on Entry of Goods in to Local Areas (Amendment) Bill, 2010' (Adhiniyam Sankhya 18 of 2010) :-

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25 March, 2010.

No. 143/XXXVI(3)/2010/07(1)/2010

Dated Dehradun, March 26, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS (AMENDMENT) ACT, 2010

(ACT No. 18 OF 2010)

Further to amend The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008

AN

Act

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2010. Short title and commencement

- (2) Section 2, 3 and 5 shall be deemed to have come into force from 9th November, 2000 and section 4 and section 6 shall be deemed to have come into force from 26th December, 2008.

2. In Section 4 of the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008, hereinafter referred to as the Principal Act,-- Amendment of Section 4

- (a) After sub-section (3) the following sub-section shall be inserted; namely:--

“(3A) Notwithstanding any thing to the contrary contained in sub-section (1) or sub-section (3), no tax shall be levied on or collected from a dealer or subsequent dealer who brings or causes to be brought into a local area any goods in respect of which tax has been paid in any other local area under nay of the said sub-sections and such dealer furnishes before the concerned Assessing Authority the prescribed declaration in regard thereto within such time as may be prescribed:

Provided that the amount of tax deposited under this section shall be deemed to have been deposited for and on behalf of such dealer or any subsequent dealer to whom above prescribed declaration has been issued.”

- (b) for sub-section (6) the following sub-section shall be substituted; namely :-

“(6) Notwithstanding any thing to the contrary contained in sub-section (1) or sub-section (3), no tax shall be levied on or collected from a dealer, who brings or causes to be brought into a local area any goods which are

- (i) consigned without using them in the local area to any place outside the State; or
(ii) sold or re-sold either in the course of Inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

Explanation-- Section 3, Section 5 and Section 6(A) of the Central Sales Tax Act, 1956 shall apply for the purpose of determining whether or not any goods have been sold by a dealer in the course of Inter-State or commerce or in the course of export out of the territory of India:

Provided that where at the time of entry of goods into a local area, the quantity or value of goods to be sold within such local area for the purpose of being taken outside the State without consumption, use or sale in such local area, is not ascertainable, the dealer shall pay the amount of tax on the value of total quantity of goods and after the goods are consigned or sold outside the State or in the course of export, the dealer may claim, refund or adjustent of the amount so paid as tax in the month in which such goods are transferred outside the State or sold in the course of Inter-State trade or commerce or in the course of export, in respect of such goods.”

- (c) Sub-section (7) shall be deleted.

Amendment of 3. In the Principal Act--
Section 5

For the existing section 5, the following section shall be substituted; namely :--

"5. Where any dealer has brought or has caused to be brought or has taken delivery of any goods notified under sub-section (1) of section 4 on its entry into a local area for consumption, use or sale therein and has paid tax in respect of entry of such goods into such local area or purchased such goods on which entry tax has already been paid, such tax shall be refunded or adjusted to such dealer by whom without using them in the local area such goods are consigned to any other place outside the State or are sold either in the course of Inter-State trade or commerce or in the course of export outside the territory of India."

Amendment of 4. In the Principal Act--
Section 6

For the existing section 6, the following section shall be substituted; namely :--

"6. Where in respect of any scheduled goods notified under sub-section (1) of Section 4, tax is payable in respect of a sale or purchase of such goods under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No 27 of 2005) (as amended from time to time) by a dealer registered under the said Act, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restriction, as may be specified therein, allow a rebate upto the full amount of tax leviable under this Act."

Amendment of 5. In section 12 of the Principal Act--
Section 12

(a) in sub-section (1) for the words "shall not give such goods to the buyer" the words "shall not deliver such goods to the buyer" shall be substituted;

(b) after sub-section (5) the following sub-section shall be added; namely:--

"(6) The amount of tax deposited under this sub-section shall be deemed to have been deposited for and on behalf of the dealer from whom such tax has been received. The manufacturer shall mention the amount of such tax in the tax invoice or sale invoice, as the case may be, issued to the purchasing dealer. It shall be deemed to be the proof for deposit of tax unless the tax invoice or sale invoice, as the case may be, is found forged or bogus or fake or not validly issued or obtained fraudulently."

Amendment of 6. In the Principal Act--
Section 13

For the existing section 13, the following section shall be substituted; namely:--

"13. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities empowered to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) (As amended) shall assess, re-assess, collect and enforce payment of tax including penalty payable under this Act as if it was a tax or penalty payable under the said Act, and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the said Act and the rules made thereunder and the provisions of the said Act of 2005 (as amended) including the provisions relating to the returns, payment and recovery of tax, liability to tax of dissolved firm and transferee, composition of tax liability realization of tax by dealers, assessment, re-assessment appeal,

revision, rectification, assessment of reconstituted or new firms and change of partnership, recovery from third party, check-post and barriers, maintenance of accounts, power to order production of accounts and powers of entry and inspection, power to seize the goods, offences and penalties, compositions of offences, liability on issuing false certificate, refund of tax, certain information to be confidential, making transfer to defraud void, charging and giving interests, objection to jurisdiction, indemnity, bar to certain proceedings, offences by companies, determination of disputed question, power of remission of arrears and granting instalments and facility for sick industrial units shall *mutatis mutandis*, apply."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.